भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 267318

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	हसनपुर लोकारी
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या- 27
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.095 हेक्टेयर
7.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
8.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	नहीं
9.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु0 2,83,875/-
10.	मालियत	:	रु0 1,30,625/-
11.	स्टाम्प	:	रु0 26,300/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

267541

चौहद्दी

<u>खसरा नं0 27</u>

पूरब : खसरा संख्या-77

पश्चिम : खसरा संख्या-28

उत्तर : खसरा संख्या-26

दक्षिण : खसरा संख्या-48

प्रथम पक्ष की संख्या-03 द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
(1) राम देव (2) रामकली पुत्रगण सुक्खालाल, (3) श्रीमती कमला देवी बेवा सुक्खालाल, निवासीगण -ग्राम हसनपुर खेवली, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि		वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री राम विलास वर्मा निवासी- एल-1/111, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 267569

10 APR 2001

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) राम देव (2) रामकली पुत्रगण सुन्दरलाल, (3) श्रीमती बसन्ता देवी बेवा सुन्दरलाल, निवासी –ग्राम हरनापुर लोनली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेतागण कहा गया है, द्वारा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री राम किशन वर्मा निवासी– एल–1/111, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि हम विक्रेतागण अपनी भूमिधरी आराजी खसरा खसरा सं0–27 कुल रकबा 0.190 हेक्टेयर में से 1/2 भाग यानी 0.095 हेक्टेयर (अपना सम्पूर्ण अंश), स्थित ग्राम– उत्तन पुर लोंगली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ के मालिक काबिज व दाखिल हैं। उक्त भूमि विक्रेतागण की पैतृक सम्पत्ति है और विक्रेतागण को वरासतन प्राप्त हुई है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों (खसरा, खतौनी) में विक्रेतागण के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार के रूप में दर्ज है।

......5

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अदममिल्कियत, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक–साफ है जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार हम विक्रेतागण को प्राप्त है। चूंकि हमें रूपयों की सख्त आवश्यकता है अतः अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बकायमी होशो हवास में उपरोक्त आराजी नम्बरी व पैमाइशी में से को बकीमती मुवलिग रूपया-2,62,675/- (रू0 दो लाख बासठ हजार छः सौ पचहत्तर मात्र) जिसके आधे रू0 1,31,337.50 (रू0 एक लाख इकत्तीस हजार तीन सौ सैंतीस व पचास पै0) होते हैं, में ब्दस्त क्रेता वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री राम किशन स्थाई व अस्थाई निवासी 1/111, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (क्रेता) के पक्ष में बय कतई किया

——6

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

यानि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना अपने ही समान क्रेता उपरोक्त को बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद से हमारा या हमारे किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध मे क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उत्तराधिकारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या कुछ भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल

500Rs

भारत

R 500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

-2-

जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जे व खर्चे, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उनके वारिसान हर्जे व खर्चे देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

रामवती

500Rs.

भारत

५००रु. Rs 500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

उसकी विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खंडसाली अर्धनगरीय क्षेत्र व विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु0 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.095 हेक्टेअर की बाजारू मालियत रु0 1,30,625/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 28,350/- स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 230665

उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 233666

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

खसरा संख्या–27 कुल रकबा 0.190 हेक्टेअर में से 1/2 भाग यानी 0.095 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ.।

313

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 733567

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेतागण को रु0 2,62,675/- (रुपया दो लाख बासठ हजार छः सौ पचहत्तर मात्र) द्वारा चेक संख्या क्रमशः- 56644, 566447, 56646 दिनांकित 16.04.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 2,62,675/- (रुपया दो लाख बासठ हजार छः सौ पचहत्तर मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता

[illegible]

[illegible]

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

[illegible]

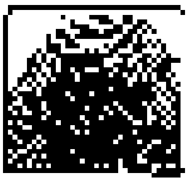

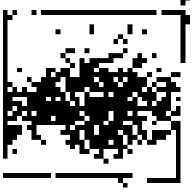

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा – 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टस

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

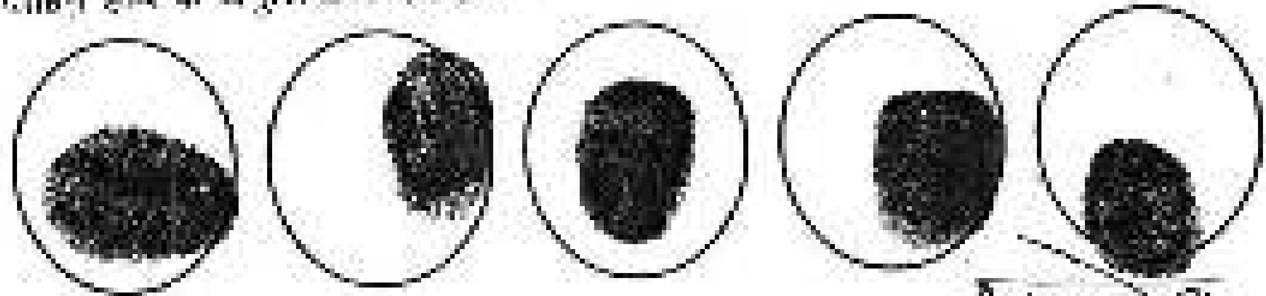

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

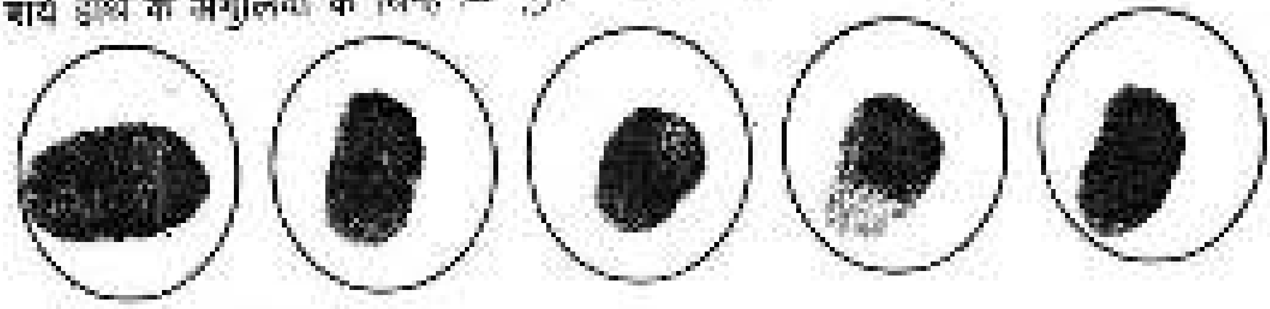

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

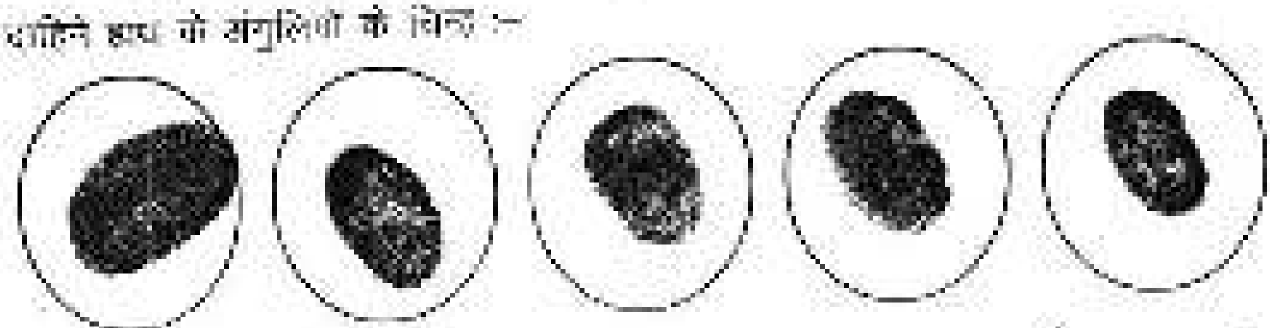

[illegible]

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Book No.

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

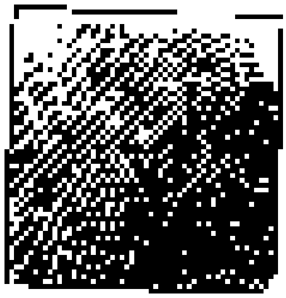

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

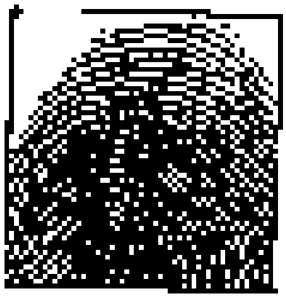

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

B 23065

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

नोट : पृष्ठ संख्या–11 में चेक संख्या पेन से लिखी है।

लखनऊ

दिनांक: 16.04.2007

गवाह

1. [illegible]

विक्रेतागण

क्रेता

2. [illegible]

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अजहर हुसैन)

एडवोकेट

[illegible]

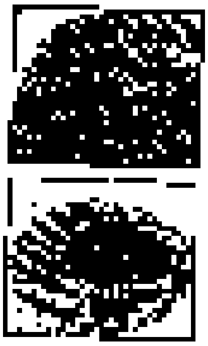

[illegible]

के. के. शुक्ला
उप निरीक्षक (प्रवर)
[illegible]
11/[illegible]/2007

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा – 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता – [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

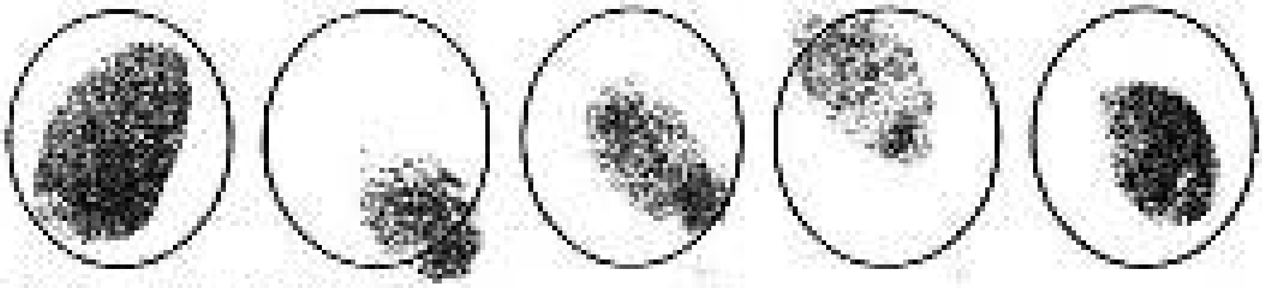

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

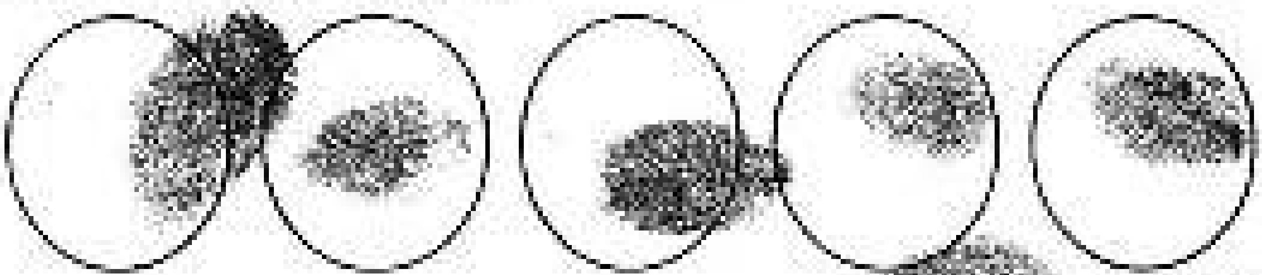

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर [illegible]

विक्रेता / क्रेता नाम व पता – [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

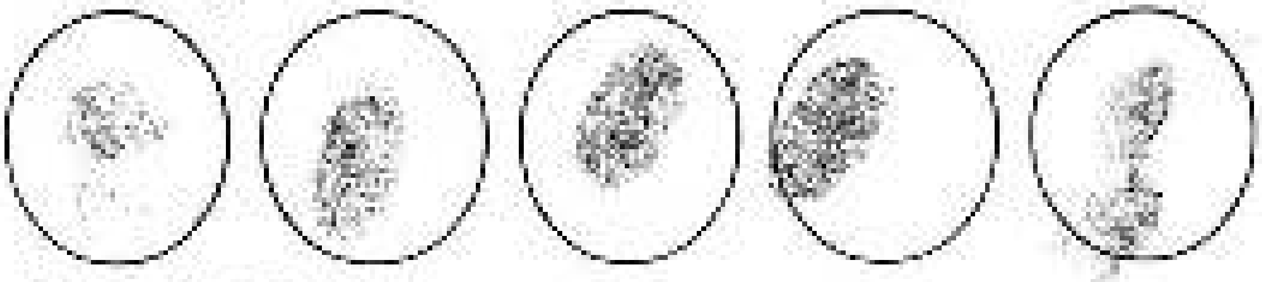

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

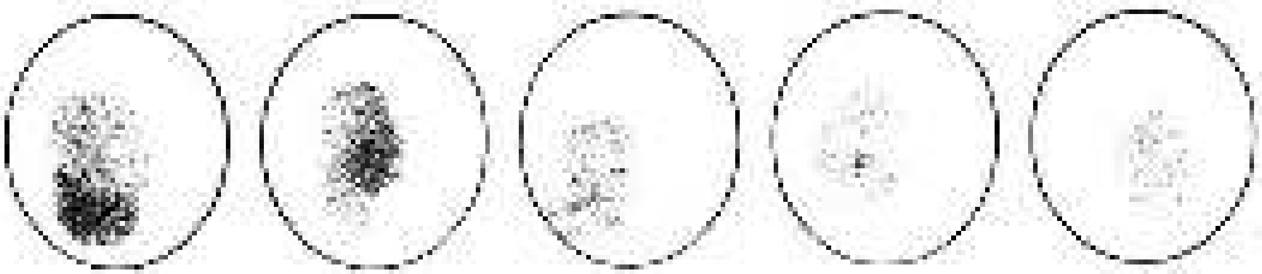

[illegible]

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No. [illegible]

Year : [illegible]

Book No. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

नक्शा नजरी

ग्राम:

खसरा संख्या– 27

जिला

रकबा

विवादित सम्पत्ति के निकट स्थित अन्य सम्पत्तियों का विवरण

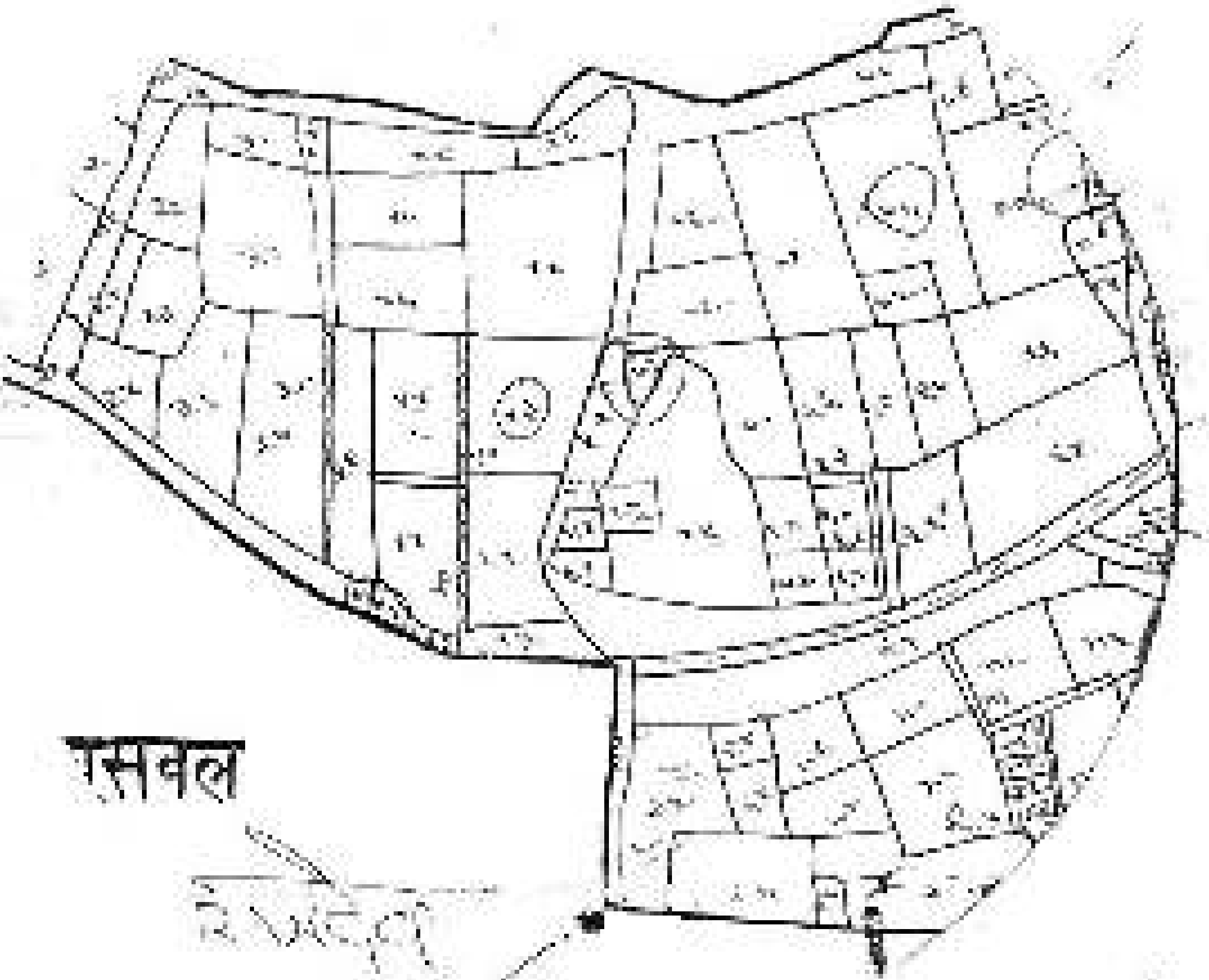

आज दिनांक 16/04/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8259

पृष्ठ सं 243 से 242 पर क्रमांक 3048

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (सदर)

लखनऊ